

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-3971 दिनांक-16.06.2022 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.06.2022 में मद संख्या-01 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संधिका लौटायी जाती है।

1. श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया के विरुद्ध दिनांक-25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प की त्रासदी के समय अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर रहने, उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने, मुख्यालय से बाहर जाने एवं अवकाश पर जाने के पूर्व मुख्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं करना और न ही कोई सूचना देना, भवन प्रमंडल, आरा के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन आरा के निर्माण कार्य में मापी से ₹1,47,49,779.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं 10 कोर्ट भवन, आरा के निर्माण कार्य में ₹29,67,866.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं समादेशवाद संख्या-5805/2015 उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं करने जैसे गंभीर आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-8152(भ.) दिनांक-08.09.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दण्ड की स्वीकृति।

1 स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

उप सचिव (नि०)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0सं0-भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015

4499/21 प्रटना, दिनांक-30/6/22

:: अधिसूचना ::

श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया के विरुद्ध दिनांक-25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प की त्रासदी के समय अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर रहने, उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने, मुख्यालय से बाहर जाने एवं अवकाश पर जाने के पूर्व मुख्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं करना और न ही कोई सूचना देना, भवन प्रमंडल, आरा के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन आरा के निर्माण कार्य में मापी से ₹1,47,49,779.00 (एक करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार सात सौ उन्नासी) का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं 10 कोर्ट भवन, आरा के निर्माण कार्य में ₹29,67,866.00 (उनतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ छियासठ) का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं समादेशवाद संख्या-5805/2015 उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से सरामय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने जैसे गंभीर आरोपों के लिए आरोप प्रपत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 6694 (भ0) दि0-12.07.2016 एवं पत्रांक-7950 दि0-17.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। किंतु, कई स्मारों के बाद भी श्री सिंह द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

2. श्री सिंह द्वारा गंभीर अनियमितता बरतने के साथ-साथ स्पष्टीकरण का जवाब न देकर विभागीय निदेश की भी अवहेलना की गयी। उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-8152 (भ0) दिनांक-08.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-सचिव परिवहन विभाग के ज्ञापक-104 दि0-28.04.2021 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3133 (भ0) दिनांक-28.06.2021 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। किंतु श्री सिंह द्वारा पुनः कोई जवाब नहीं दिया गया।

5. श्री सिंह से द्वितीय कारण-पृच्छा का उत्तर प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाणित आरोपों

के लिए "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. विभागीय पत्रांक 6219 (म0) दिनांक 27.10.2021 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3883 दि0-16.03.2022 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

7. मंत्रिपरिषद की दिनांक-21.06.2022 को हुयी बैठक में मद संख्या-01 के रूप में श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया के विरुद्ध दिनांक-25.04.2015 एवं दिनांक-26.04.2015 को आये भूकम्प की त्रासदी के समय अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर रहने, उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने, मुख्यालय से बाहर जान एवं अवकाश पर जान के पूर्व मुख्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं करना और न ही कोई सूचना देना, भवन प्रमंडल, आरा के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन, आरा के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन, आरा के निर्माण कार्य में भापी से ₹1,47,49,779.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं 10 कोर्ट भवन, आरा के निर्माण कार्य में ₹29,67,866.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं समादेशवाद संख्या 5805/2015 उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं करने जैसे गंभीर आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-8152 (म0) दिनांक-08.09.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवही में प्रमाणित आरोपों के लिए "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दण्ड की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. अतएव, श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को उक्त वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (ix) के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क0प0उ0

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015.....4499(अ)/ पटना, दिनांक- 30/6/22
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ई0-गजट कोषांग एवं वित्त(वै0दा0नि0को0), वित्त
विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना/खगड़िया को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015.....4499(अ)/ पटना, दिनांक- 30/6/22

प्रतिलिपि:-श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल,
सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015.....4499(अ)/ पटना, दिनांक 30/6/22

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के
आप्त सचिव/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य
अभियंता/उप सचिव (प्रभारी राजपत्रित स्थापना)/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल,
भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-- भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015.....4499(अ)/ पटना, दिनांक 30/6/22

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप(सीतामढ़ी)-22/2015.....4499(अ)/ पटना, दिनांक 30/6/22

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।